

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक F 1/1//0016/2022-Sec-1-38(HED)

भोपाल, 20/09/2022

प्रति,


समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.

विषय:- ई.आर. शीट में अद्यन स्थिति अपडेट किये जाने बाबत।

* * *

उपर्युक्त विषयांतर्गत लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी ई.आर. शीट में संपूर्ण कॉलम की जानकारी अनिवार्य रूप से इन्द्राज करने निर्देश हैं, किन्तु प्राचार्यों द्वारा उक्त कार्य करने में गंभीरता नहीं दिखाई गई है, जिसके कारण कई अधिकारी/कर्मचारियों की ई.आर. शीट में कई कॉलम अपूर्ण हैं।

निर्देशानुसार आदेशित है कि महाविद्यालयों में कार्यरत, समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रमाणित ई.आर.शीट प्राप्त कर, सेवा पुस्तिका के सत्यापन उपरांत ई.आर. शीट को 15 दिवस में अद्यन करें। त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।


20.09.22
(संघमित्रा गौतम)

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्र.F1/1//0016/2022-Sec-1-38(HED)

भोपाल, 20/09/2022

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र.
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई.टी. शाखा की ओर लेख है कि दिनांक 20.09.2022 से 08.10.2022 तक ई.आर. शीट अपडेट करने हेतु लिंक ओपन करें।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर लेख है कि आपके संभाग से संबंधित समस्त प्राचार्यों से ई.आर. शीट में अद्यन संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर दिनांक 14.10.2022 तक पालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।


20.09.22
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग